


	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पुखराज बनाम सरकार धारा 136 प्रकरण सख्या 48/2020</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--	---	--

2022- राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 48/2020 पुखराज बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम रेकॉर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र में तथ्यों को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम डोली काकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 89/6 रकबा 11.बीधा 19 बिस्वा 05 बिस्वाशी राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना नाम सांगीदान पुत्र मोहनदान के स्थान पर पुखराज पुत्र मोहनदान किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें तहसीलदार लूणी से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक/भूअ/2022/2520 दिनांक 14.06.2022 के तहत जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी सवत 2070-73 में प्रार्थीया का नाम खाता सख्या 30 द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा तहसीलदार द्वारा वास्तविक नाम पुखराज है यही नाम समस्त दस्तावेज में दर्ज है सगीदान व पुखराज दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया गया व शुद्धि की अनुशषा की गई। लेकिन प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में शुरू से ही सांगीदान ही दर्ज हैं तथा शुद्धि का प्रकरण में पर्याप्त राजस्व रेकार्ड के अभाव में खारिज किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना प्रतीत होता है।

अतः- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के अस्वीकार किया जाता है पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।



सहायक कमिश्नर एवं जलजम्द अधिकारी,
लूणी